

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

:- कार्यालय आदेश :- 44

का० आदेश सं०- 1/निय-5011/2010-806

पटना-15, दिनांक- 14-8-15

रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010 संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 संबंधी वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-7549 दिनांक 13.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में विभागीय स्क्रूनिंग समिति (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन गठित) की दिनांक 30.07.2015 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय नियोजन, मुख्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नियमानुसार 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत वित्तीय उन्नयन एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सीधी भर्ती वेतन में 10 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 के परिशिष्ट 1 कंडिका-2 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत लाभ दिया गया।

वित्त विभाग के परिपत्र-5706/वि० दिनांक 30.06.2015 के आलोक में वैसे कर्मी जिन्हें द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 2750-4400-अपुनरीक्षित एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी० वी०-1+2400 में प्राप्त हो चुका है उन्हें दिनांक 01.01.09 या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि, जो बाद में हो, से पी० वी०-1+2800 के वेतनमान में तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया।

निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4, एवं 8 में अंकित तिथि से प्रथम एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की लाभ की स्वीकृति दी गई।

क्र० सं०	नाम, पदनाम एवं वेतनमान (कार्यालय परिचारी)	प्रथम नियुक्ति की तिथि/वरीयता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए० सी० पी०		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए० सी० पी० 2010 नियमावली के अंतर्गत				
			12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान। पुनरीक्षित वेतनमान 01.01.2006 से (आर्थिक लाभ 01.04.07 से)	24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान	10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन	20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन	30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ग्रेड वेतन	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	श्री मुन्ना गोमेज, सेवानिवृत्त, 5200-20200 1650	04.12.1995 वरीयता क्रमांक (11)	04.12.2007 2650-4000 अपुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 1900 पुनरीक्षित वेतनमान	-	-	-	-		

मनाज

2	श्री कृष्णा प्रसाद गौड़ सेवानिवृत्त, 5200-20200 2400	08.07.1982 वरीयता क्रमांक (09)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	08.07.2003 08.07.2003 5200-20200 2800
3	श्री जवाहर प्रसाद पासवान सेवानिवृत्त, 5200-20200 2400	15.09.1976 वरीयता क्रमांक (04)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	15.09.2006 01.01.2009 5200-20200 2800
4	श्री अमर कुमार झा सेवानिवृत्त, 5200-20200 2400	28.10.1973 वरीयता क्रमांक (02)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	28.10.2003 01.01.2009 5200-20200 2800
5	श्री आनंद कामती 5200-20200 2400	05.03.1979 वरीयता क्रमांक (06)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	05.03.2003 05.03.2003 5200-20200 2800
6	श्री सुरेन्द्र राम 5200-20200 2400	16.10.1981 वरीयता क्रमांक (07)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	16.10.2011 16.10.2011 5200-20200 2800
7	श्री राजदेव ठाकुर 5200-20200 2400	20.07.1977 वरीयता क्रमांक (05)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	20.07.2003 01.01.2009 5200-20200 2800
8	श्री राजकिशोर सिंह 5200-20200 2400	07.07.1982 वरीयता क्रमांक (08)	मिल चुका है।	मिल चुका है।	-	-	07.07.2011 07.07.2011 5200-20200 2800
9	श्री संजय कुमार, 5200-20200 1800	31.05.2001 वरीयता क्रमांक (12)	-	-	31.05.2011 31.05.2011 5200-20200 1900	-	

(2) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 के नियम-8 एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली-2006 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-2181 (वि0) (2) दिनांक-24.03.04 वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.10 एवं वित्त विभाग के पत्र सं0-3637/वि0 दिनांक 10.04.2013 के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में वेतन सत्यापन वित्त विभाग से कराने के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-
(शशि भूषण)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5011/2010

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5011/2010

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5011/2010

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि -उप निदेशक (नियोजन) मुख्यालय/निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना, लेखा शाखा /बजट शाखा /सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5011/2010 - 806

पटना-15, दिनांक- 14-8-15

प्रतिलिपि -आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

शशि मुखर्जी

निदेशक 14/08/15

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

U.K

14.08.2015